रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 1983/आषाढ़ 17, 1905

No 113] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 1983/ASADHA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 24-आईटीसी/पी एन/83)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1983

विषय : रेलवे के लिए आई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करना।

मिसिल सं० आई पी सी 23(5)/83.— वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) ने एक सार्वजनिक सूचना सं० 18-आईटीसी (पी०एन०/79 दिनांक 19-3-1979 जारी की थी जिसके अनुसार आई डी ए क्रेडिट-844-आई एन के अन्तर्गत आयात लाइसेंस रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा यथासंचारित विदेशी-मुद्रा की रिहाई/समय-वृद्धि के अनुसार जारी किए जा सके थे। उनमें समय की वृद्धि की जा सकी थी।

2. भारतीय रेलवे ने द्वितीय रेलवे आधुनिकीकरण और रख-रखाव परियोजना के लिए 400 मिलियन यू० एस० डालर के समतुल्य वर्ल्ड बैंक ग्रुप से दूसरा ऋण/क्रेडिट प्राप्त किया है। इस धनराशि का आधा अर्थात् यू एस डालर 200 मिलियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ में है और दूसरा आधा (200 मिलियन डालर) पुन: निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से है। विभिन्न परियोजनाएं जिनका वित्तदान आई डी ए क्रेडिट-1299-आई एन और पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ऋण 2210-आई एन के अंतर्गत किया जा रहा है, वे निम्नलिखित हैं :—

	श्रेणी	वित्तदान किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत
(1)	डीजल कम्पोनेंट्स वर्क्स, पटियाला के लिए संयंत्र और मशीनरी	विदेशी व्यय का 100% स्थानीय व्यय (एक्स फैक्टरी) का 100 प्रतिशत और भंडार में से स्थानीय व्यय का 70%।
(2)	यूनिट एक्सचेंज सिस्टम के लिए लोकोमोटिव संघटकों की व्यवस्था	विदेशी व्यय का 100% स्थानीय व्यय (एक्स फैक्टरी) का 100% और भंडार के स्थानीय व्यय का 70%
(3)	पहियों, धुरियों और टायरों का आयात	विदेशी व्यय का 100%

(4) प्रोटोटाइप ए सी लोकोमोटिवस का आयात।	विदेशी व्यय का 100 प्रतिशत
(5) माल-गाडियो के लिए सामग्री	विदेशी व्यय का 100%, स्थानीय व्यय (एक्स फैक्टरी) का 100% और भंडार के स्थानीय व्यय का 70 प्रतिशत।
(6) तकनीकी सहायता और स्टाफ, प्रशिक्षण	100 प्रतिशत

3. नया आई डी ए क्रेडिट/ऋण में से पिछले आई डी क्रेडिट के अन्तर्गत पहले से जारी किए गए आयात लाइसेंसो के मुद्दे यदि कोई बकाया भुगतान है तो उसका वित्तदान नही किया जाएगा।

4. नए आई डी ए क्रेडिट/ऋण के संबंध में भी विदेशी मुद्रा की अनुमति और समय-समय पर उसकी वृद्धि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा भेजी जाती रहेगी जैसा कि क्रेडिट/ऋण की शर्तों और उसकी उपलब्धता के संबंध में भेजी जाती है। आयात लाइसेंस ऐसी विदेशी मुद्रा की अनमति/स्वीकृति के अनुसार जारी/स्वीकृत किए जाएंगे जो कि रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा सूचित की गई हो, लाइसेंसों की वैधता के लिए मापदण्ड जैसा भी मामला हो वही तारीख होगी जिस तारीख तक विदेशी मुद्रा को रिहाई उपलब्ध कराई गई है या स्वीकृत की गई है।

5. इस क्रेडिट के अन्तर्गत माल की अधिप्राप्ति आई डी ए द्वारा जारी किए गए "अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन" मे निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार होगी।

6. कंडिका 2 मे यह देखा जाएगा कि नया आई डी ए क्रेडिट 1299-आई एन और आई बी आर डी ऋण 2210-आई एन० मे परियोजनाओ को आई डी ए/आई बी आर डी द्वारा निम्नलिखित अनुसार वित्तदान करने के प्रयोजनार्थ दो वर्गों मे विभाजित किया गया है :—

(क) वे परियोजना जिनके लिए 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा का खर्चा आई डी ए/आई बी आर डी द्वारा वित्तदान किया जाएगा, और

(ख) वे परियोजना जिनके लिए 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा का खर्चा (100% स्थानीय खर्चा) (कारखाना मे) और हाजिर स्टाक मे स्थानीय खर्चे का 70 प्रतिशत आई डी ए/आई बी आर डी द्वारा वित्तदान किया जाएगा।

7. संभरकों को भगतान करने के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त मद (ख) के अन्तर्गत परियोजनाएं निम्नलिखित अनुसार दो उपवर्गों में विभाजित की गई है।

(क) विदेशी संभरकों को दिए गए ठेको के माध्यम से अधि-प्राप्ति।

(ख) भारतीय संभरकों को दिए गए ठेको के माध्यम से अधिप्राप्ति।

8. उस विदेशी मुद्रा घटक के भुगतान के लिए जो उपयुक्त कंडिका 6(क) और 7(क) के अन्तर्गत योजनाओं के संबंध में निर्धारित है, निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुपालन किया जाएगा :—

(i) केस-(i) अदायगी क्रियाविधि :

इस क्रियाविधि के अन्तर्गत विदेशी संभरकों को प्रारम्भ में भुगतान, जब तक अन्यथा रूप से विशिष्टि कृत न किया गया हो, सामान्य बैंक क्रियाविधि के माध्यम से या साख-पत्र के मद्दे या अन्यथा रूप मे जो संविदात्मक देय हो और जो आयात लाइसेंस की मुद्रा नियंत्रण प्रयोजन प्रति मे विनिर्दिष्ट हो, माल के उद्गत देश की मुद्रा मे कर दिया जाता है। ऐसे धन प्रेषण के 15 दिनो के भीतर लाइसेंसधारी अपर वित्त निदेशक (एल एंड एफ) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को आई डी ए से प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजेगा :—

(क) बीजक

(ख) लदान बिल या वायुयान बिल

(ग) विदेशी संभरक के भुगतान दर्शाते हुए बैंकर का प्रमाण पत्र

(घ) संविदा की प्रति

विदेशी मुद्रा का वह प्राधिकृत व्यापारी, जिसके माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है, आयात लाइसेंस के मद्दे विदेशी मुद्रा मे भुगतान करते ही बीजक, लदान बिल और भुगतान के प्रमाण पत्र की एक प्रति अपर निदेशक वित्त (एल एंड एफ) रेलवे बोर्ड (रेल भवन) नई दिल्ली को भी भेजेगा।

(ii) केस-(iii) सीधा भुगतान क्रियाविधि :

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, भारत से विदेशी मुद्रा में कोई भी भुगतान अनुमेय नही है। अतः इस भुगतान प्रक्रिया के अधीन कोई भी साख-पत्र नही खोला जा सकता है। विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा समय-समय पर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार संबंधित रेलवे, उत्पादन एकक आदि के प्राधिकृत लेखा अधिकारी द्वारा एक भुगतान प्राधिकार पत्र अपर निदेशक, वित्त (एल एंड एफ) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजा जाएगा जो कि विदेशी संभरकों को सीधे ही भुगतान करने के लिए आई०डी०ए०/आई बी आर डी के साथ व्यवस्था करेगा। इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र के साथ संविदा की

एक प्रति संलग्न होनी चाहिए और यदि उपलब्ध हो तो संभरक के बीजक की एक प्रति भी साथ होनी चाहिए। पोत-बीजक की अंतिम प्रति के साथ बैंक आई डी ए को पोतलदान का साक्ष्य भेजना होगा। पोतलदान का साक्ष्य निम्न प्रकार से होगा :—

(i) लदान बिल की प्रति,

(ii) संभरकों द्वारा यह दर्शाते हुए एक विवरण पत्र कि माल का लदान हो गया है।

(iii) भेजने वाले का प्रमाण पत्र।

जहाज पर्यन्त निःशुल्क पोतलदान के उस मामले में जहां पर समुद्री भाड़े का भुगतान भारतवर्ष में भारतीय रुपयों में किया गया हो, विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी यह दर्शाते हुए कि आयात लाइसेंस में धनराशि समंजित कर दी गई है, आवश्यक भाड़ा प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(iii) प्रतिपूर्ति प्रक्रिया (v) और (vi) के समझौते के लिए आवेदन-पत्र :

विभिन्न लेनदेन जिसमें माल की खरीद शामिल है, में जहां पर रेलवे मंत्रालय एक साख पत्र खोलना चाहता हो लेकिन उसे यह पता लग जाए कि संभरक के देश में वाणिज्यिक बैंक किसी गारंटी या सुरक्षा के बिना क्रेडिट खोलने या पुष्टि करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मामले की विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद ऐसे मामलों में आई डीए/आई बी आर डी वाणिज्यिक बैंक को अपेक्षित आश्वासन प्रदान कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए आई डी ए/आई बी आर डी ने दो क्रियाविधि अपनाई है, अर्थात् क्रियाविधि 5 के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक को प्रतिपूर्ति करने के लिए बैंक या आई डी ए का समझौता अपरिवर्तनीय है परन्तु क्रियाविधि 6 के अन्तर्गत उन का समझौता सापेक्ष है ।

(क) केस (V) प्रतिपूर्ति हेतु अपरिवर्तनीय समझौता :

इस क्रियाविधि के अन्तर्गत, आई डी ए/आई बी आर डी अपरिवर्तनीय समझौते करते है ताकि साखपत्र हेतु किए गए भुगतानों के लिए वाणिज्यिक बैंको को प्रतिपूर्ति की जा सके और तदनुसार वे वाणिज्यिक बैंकों तथा रेल मंत्रालय को अधिसूचित करेंगे। इस प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए रेल मंत्रालय एक औपचारिक प्रार्थनापत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बैंक या आई डी ए को प्रस्तुत करेगा :

(i) ठेके की एक प्रति

(ii) उस साख पत्र की दो प्रतियां जिसे वाणिज्यिक बैंक का जारी करने का प्रस्ताव है।

(ख) केस (VI) आई डी ए/आई बी आर डी का प्रतिपूर्ति हेतु अहर्ता प्राप्त समझौता :

इस क्रियाविधि के अनुसार, आई डी ए/आई बी आर डी उस संबंधित बैंक को प्रतिपूर्ति के लिए एक अहर्ता प्राप्त समझौता देंगे जो कि साख पत्र में संबंधित भुगतान करता है । प्रतिपूर्ति के लिए यह अहर्ता प्राप्त समझौता आई डी ए/आई बी आर डी केवल उस बैंक को प्रदान करेंगे जो कि साख पत्र खोलता है तथा उसमें संबंधित लेन-देन करता है और यदि जो केवल रेल मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुरोध करता है।

8(1) उपर्युक्त मद 6(क) और 7(क) के मद्दे ठेकों के अधीन भुगतान के लिए भारतीय जलयानों में किए गए लदान से संबंधित समुद्री भाड़े की प्रतिपूर्ति भी आई डी ए/आई बी आर डी द्वारा की जाएगी।

9. जो कुछ ऊपर पैरा 4 में कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए साख पत्र खोलना/उस में समय वृद्धि करना विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी द्वारा, पोतलदान के लिए आयात लाइसेंस की वैधता अवधि तक और केस I—प्रतिपूर्ति क्रियाविधि में निर्धारित भुगतान क्रियाविधि के अनुसार और उपर्युक्त पैरा 8(1) में यथा उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा।

10. उपर्युक्त मद सं० 7(ख) के मद्दे ठेकों के अधीन भुगतान केवल साधारण बैंकिंग माध्यम से, या साख पत्र या अनुबंधित रूप में जैसा भी तय हो, भारतीय रुपए में किए जाएंगे। ऐसे भुगतान के 15 दिनों के भीतर, खरीददार, आई डी ए से प्रतिपूर्ति के दावे हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अपर निदेशक वित्त (एल एंड एफ) रेलवे बोर्ड, रेलवे भवन, नई दिल्ली को भेजेगा :—

(1) बीजक

(2) बैंकों का भुगतान प्रमाण पत्र

(3) ठेके की प्रति

वह बैंक जिसके माध्यम से ठेकेदार को भुगतान किया जाता है, निर्धारित प्रपत्र (1.1) में बीजक की एक प्रति तथा भुगतान प्रमाण पत्र भी अपर निदेशक, वित्त (एल एंड एफ) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजेगा।

11. इस ठेके के अधीन साख/ऋण सामान्यतया जहाज पर्यन्त निःशुल्क/जहाज तक निःशुल्क आधार पर होगा। लागत और भाड़ा के आधार पर ठेके अपवाद रूप में होंगे। लागत और भाड़ा आधार पर कोई ठेका देने से पहले, जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली से वर्ल्ड बैंक के किसी सदस्य देश के पोत को प्रयोग करने की अनुमति लेनी होगी।

12. पोतलदान की क्रियाविधि निम्न प्रकार होगी :—

(क) जहाज पर्यन्त निःशुल्क लदानों के मामले में, जहां समुद्री भाड़े का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है वहां यदि लदान किसी भारतीय या वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश के पोत पर किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ख) जहां लदान लागत और भाड़ा के आधार पर ऐसे पोत पर किया जाता है जो कि वर्ल्ड बैंक के भारत से भिन्न किसी सदस्य देश का है तो समुद्री भाड़ा पहले ही भुगतान कर देना चाहिए। यदि लदान भारतीय पोत द्वारा किया जाता है तो बीजक जहाज पर्यन्त निशुल्क आधार पर बनाया जाना चाहिए और भाड़ा भारतीय रुपए में भारतीय गन्तव्य पर चुकाया जाना चाहिए।

(ग) विश्व बैंक के सदस्य देशों और स्विटजरलैंड के संभरकों को दिए गए ठेकों के मद्दे लागत एवं भाड़े के आधार पर लदान किसी भी मामले में विश्व बैंक के असदस्य देश के पोत द्वारा नहीं किया जाएगा।

पी०सी० जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 24-ITC(PN)/83

New Delhi, the 8th July, 1983

Subject: Issue of Public Notice for Import Licences issued under IDA Credit for Railways

File No. IPC/23(3)/83.—The Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Deptt. of Commerce) had issued Public Notice No. 18-ITC (PN)/79 dated 19-3-1979 in terms of which import licences under IDA Credit 844-IN could be issued/extended in accordance with the foreign exchange releases/extensions as communicated by the Ministry of Railways (Railway Board).

2. The Indian Railways have obtained another loan/credit from the World Bank Group for an equivalent of US $ 400 millions for the Second Railways Modernisation and Maintenance Project. Half of this amount viz. US $ 200 million is from the International Development Association and the other half ($ 200 million) is from the International Bank for Reconstruction & Development. The various Projects which are being financed under the IDA Credit 1299-IN and IBRD Loan 2210-IN are as follows:

Category	Percentage of Expenditures to be financed
1	2
(1) Plant & Machinery for Diesel components Works, Patiala.	100% of foreign expenditures, 100% of local expenditures (ex-factory) and 70% of local expenditures off-the-shelf.
(2) Provision of locomotive components for Unit Exchange System	100% of foreign expenditures 100% of local expenditures (ex-factory) and 70% of local expenditures off-the-shelf.
(3) Import of Wheels axles and tyres	100% of foreign expenditures.
(4) Import of Prototype AC locomotives.	100% of foreign expenditures.
(5) Materials for freight wagons.	100% of foreign expenditure, 100% of local expenditure (ex-factory) and 70% of local expenditure off-the-shelf.
(6) Technical assistance & staff training.	100%

3. The new IDA Credit/Loan will not finance balance payment, if any, against the import licences already issued under the previous IDA Credit.

4. In regard to the new IDA Credit/Loan also, foreign exchange releases and their extension from time to time will continue to be conveyed by the Ministry of Railways (Railway Board) as hitherto, having regard to the conditions of credit/loan and its availability. The import licence will be issued/extended in accordance with such foreign exchange releases/extensions as conveyed by the Ministry of Railway (Railway Board), the criterion for the validity of the licences being the date upto which the foreign exchange release has been made available or extended, as the case may be.

5. The procurement of goods under this credit would be in accordance with the procedure set forth in the 'Guidelines for Procurement' issued by the IDA.

6. It will be seen from para 2 that in the new IDA Credit 1299-IN and IBRD loan 2210-IN, the Projects have been divided in two groups by the IDA/IBRD for the purpose of financing as under:—

(a) Projects for which 100% foreign exchange expenditure will be financed by the IDA/IBRD; and

(b) Projects for which 100% foreign exchange expenditure, 100% of local expenditures (ex-factory) and 70% of local expenditures off-the-shelf, will be financed by the IDA/IBRD.

7. For the purpose of payment to the suppliers, the Projects under item 6(b) above are divided into two sub-groups as under:—

(a) Procurement through contracts placed on foreign suppliers.

(b) Procurement through contracts placed on Indian suppliers.

8. For payment of foreign exchange component which is stipulated in respect of schemes under paras 6(a) and 7(a) above, one of the following procedures shall be followed:

(i) Case-I—Reimbursements Procedure:

Under this procedure, the payment is initially made unless otherwise specified, in the currency of the country of origin of goods to the foreign suppliers through normal banking channels or against letter of credit or otherwise, as may be contractually due and is marked off in the exchange control copy of the Import Licence. Within fifteen days of such remittance, the licence shall forward to the Additional Director Finance (L & F) Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi, following documents for claiming reimbursements from IDA:—

(a) Invoice

(b) Bill of lading or Airway Bill

(c) Banker's certificate showing remittance to foreign suppliers.

(d) Copy of contract.

The authorised dealer in foreign exchange, through whom the remittance is arranged, shall also send a copy of the Invoice, Bill of lading and certificate of payments to the Additional Director Finance (L & F) Railway Board (Rail Bhavan) New Delhi as soon as a remittance in foreign exchange is made against the Import Licence.

(ii) Case III—Direct Payment procedure:

Under this procedure, no remittance in foreign exchange from India is permitted. Therefore, no letter of credit can be opened under this payment procedure. For making payments to foreign suppliers where due, a payment authority in accordance with the procedure prescribed by the Ministry of Railways (Railway Board) from time to time, shall be sent by the authorised Accounts Officer of the concerned Railways, Production Unit etc. to the Additional Director, Finance (L & F) Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi who will in turn arrange with International Development Association/IBRD for making the payment directly to the foreign suppliers. For this purpose, the application should be supported by a copy of the contract and if available, a copy of the supplier's invoice. Evidence of shipment is required to be furnished to Bank/IDA alongwith a copy of final invoice of shippers. Evidence of shipment would be in the form of:

(i) copy of bill of lading;

(ii) a statement of suppliers that the goods have been shipped; and

(iii) forwarder's certificate.

In case of FOB shipments, where payment of ocean freight is made in Indian Rupees in India, the authorised dealers in foreign exchange shall issue necessary freight certificate indicating that the amount has been adjusted in the Import Licence.

(iii) Application for Agreement to Reimburse Procedures V & VI:

In certain transactions involving purchase of goods, where Ministry of Railways may wish to open a letter of credit but find that the Commercial Bank in the supplier's country is unwilling to open or confirm the credit without some guarantee or security, the IDA/IBRD in such cases after considering the various circumstance of the case, may provide requisite assurance to the Commercial Bank. For this purpose IDA/IBRD have adopted two procedures namely Procedure V & VI. Under Procedure V, the Bank's or IDA's Agreement to Reimburse the Commercial Bank is irrevocable but under Procedure VI their Agreement is qualified.

(a) Case V—Irrevocable Agreement to Reimburse:

Under this procedure, IDA/IBRD give irrevocable agreement to reimburse the Commercial Bank for payments made under a letter of credit and accordingly they will notify the Commercial Bank and the Ministry of Railways. For availing this procedure, the Ministry of Railways will submit a formal application to the Bank or IDA supported by the following documents:—

(i) a copy of contract.

(ii) two copies of letter of credit which the commercial bank proposes to issue.

(b) Case VI-Qualified agreement of IDA/IBRD to reimburse:

According to this procedure, IDA/IBRD will give a qualified agreement to reimburse the negotiating bank for payments made by them under a letter of credit. This qualified agreement to reimburse shall be given by the IDA/IBRD only on a request made through the authorised representatives of the Ministry of Railways, to the Bank opening and negotiating the letter of credit.

8. For payment under contracts against item 6(a) and 7(a) above ocean freight in respect of shipments made in Indian vessels will also be reimbursed by IDA/IBRD.

9. In view of what has been stated in para 4 above, opening/extension of letter of credit shall be done by the authorised dealer in foreign exchange upto the period of validity of the Import Licence for shipments and payment procedure prescribed in Case I-Reimbursement Procedure, and the requisite documents forwarded as stated in para 8(i) above.

10. Payments under contracts against item 7(b) above shall be made in Indian Rupees only through normal banking channels or letter of credit or otherwise as may be contractually due. Within fifteen days of such payment, the purchaser shall forward to the Additional Director Finance (L & F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi the following documents for claiming reimbursement from IDA:—

(a) Invoice.

(b) Banker's certificate of payment.

(c) Copy of contract.

The bank, through which the payment is made to the contractor shall also supply a copy of invoice and certificate of payment in the prescribed form (1.1) to the Additional Director Finance (L & F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi.

11. The contract under this credit/loan will be normally on FOB/FAS basis. Contracts on C & F Basis will be an exception. Before award of any contract, on C & F basis, the prior concurrence of the Ministry of Shipping and Transport, New Delhi would be obtained for using vessel(s) belonging to a Member country of the World Bank.

12. Procedure for shipment will be as follows:

(a) In case of FOB shipments, where payment of ocean freight is made in Indian Rupees, there is no objection to shipments being made by vessels belonging to Indian or a World Bank member country.

(b) Where the shipment is made on C & F basis on vessels belonging to a member country of the World Bank, other than India, the ocean freight should be prepaid. If the shipment is made by an Indian vessels, the invoice should be drawn on FOB basis only, and the freight paid in Indian rupees at the destination in India.

(c) Shipment on C & F basis, against contracts placed on suppliers belonging to member countries of World Bank and Switzerland, shall in no case be made by a vessel belonging to a non-member country of the World Bank.

P.C. JAIN, Chief Controller, Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983